

उत्तर पश्चिम रेलवे



संख्या:- 32-E/o/ Allowance

मण्डल रेल प्रबंधक / कार्मिक— जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
 मुख्य कारखाना प्रबंधक— अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
 उप मुख्य सामग्री प्रबंधक— अजमेर, जोधपुर
 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण— जयपुर
 समस्त विभागाध्यक्ष / प्रका.— जयपुर
 सचिव / महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक / सतर्कता प्रका.— जयपुर
 मुख्य राजभाषा अधिकारी / प्रका.— जयपुर
 अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड— अजमेर
 प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान— उदयपुर
 प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केंद्र— जोधपुर
 उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.— जयपुर
 सहायक सचिव / गोपनीय — महाप्रबंधक प्रका.— जयपुर
 मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.— जयपुर
 निजी सचिव / महाप्रबंधक, वित सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.— जयपुर.

विषय :- ०१.०१.२०११ से छिपामीय दूरी अर्थे और छिल्लीमीटर
 दूरी के बदले अर्थे (एलडे) की क्षेत्रों के संबोधन।

संदर्भ :- अठवी. पञ्चम के (पी.पी.पी.) ११-२००५/आरएस-३५

Dt. 28/11/2012

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 28/11/12 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एवं सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सलांगन— यथोक्त।

प्रतिलिपि:-

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 7. महासचिव— एनडब्ल्यूआरईयू | 15 प्रतियों। |
| 8. महासचिव— यूपीआरएमएस | 15 प्रतियों। |
| 9. महासचिव— एससी / एसटी एसो। | 15 प्रतियों। |
| 10. महासचिव— ओबीसी एसो। | 05 प्रतियों। |
| 11. महासचिव— पदोन्नत अधिकारी एसो। | 05 प्रतियों। |

प्रधान कार्यालय

जयपुर

आर.बी.ई.सं.

77/2012

9/11/2012

RB E No. 77/2012

2

(आर.के.शर्मा)

कृते महाप्रबंधक / कार्मिक



GM
Ch Sm
DY Po(HND)
51
28.06.2012

आरबीई सं. 77 / 2012

नई दिल्ली, दिनांक : 28.06.2012

सं. ई (पी एंड ए) II-2005/आरएस - 34

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश रेलवे
सभी भारतीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां, आदि।

विषय : 01.01.2011 से किलोमीटर दूरी भत्ते और किलोमीटर दूरी के बदले भत्ते
(एएलके) की दरों में संशोधन।

रेल सेवक (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की घोषणा के पश्चात् बोर्ड ने दिनांक 26.12.2008 को समसंख्यक पत्र जारी किया था जिसमें रनिंग स्टाफ के लिए वेतन का तत्व और किलोमीटर दूरी भत्ते तथा किलोमीटर दूरी के बदले भत्ते (एएलके) की दरों को संशोधित किए जाने का निर्णय लिया था।

2. दोनों फेडरेशनों की निरंतर मांग पर विचार करते हुए, बोर्ड ने अब विनिश्चय किया है कि किलोमीटर दूरी भत्ते (प्रति 100 किमी) की दरों तथा एएलके (प्रति 160 किमी) की दरों, जिनका बोर्ड के दिनांक 26.12.2008 के समसंख्यक पत्र में उल्लेख किया था, को 01.01.2011 से 25% बढ़ा दिया जाए। किलोमीटर दूरी भत्ता तथा किलोमीटर दूरी के बदले दिए जाने वाले भत्ते की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

झो. सलीम अहमद

सलीम मो. अहमद

उप निदेशक / ई (पी एंड ए) II,
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए) II-2005/आरएस - 34

नई दिल्ली, दिनांक : 28.06.2012

प्रतिलिपि :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयां आदि को प्रेषित।

2. मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ।

झो. सलीम अहमद

सलीम मो. अहमद

उप निदेशक / ई (पी एंड ए) II,
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए) II-2005/आरएस - 34

नई दिल्ली, दिनांक : 28.06.2012

प्रतिलिपि :

भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलों), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001 (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रतिलिपि प्रेषित।

झो. सलीम अहमद

कृते वित्त आयुक्त/रेलों

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

S.No.PC-VI/293

RBE No. 77/2012

No. E(P&A)II-2005/RS-34

New Delhi, dated : 28.06.2012.

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units etc.

Sub : Revision in the rates of Kilometrage Allowance and Allowance
in lieu of Kilometrage (ALK) with effect from 01.01.2011.

+++++

After the promulgation of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, Board had issued letter of even no. dt. 26.12.2008, deciding the pay element for the running staff and the revised rates of Kilometrage Allowance and Allowance in lieu of Kilometrage (ALK).

2. In consideration of the persistent demand by the two Federations, Board has now decided that the rates of Kilometrage Allowance (per 100 kms) and the rates of ALK (per 160 kms) which were laid down vide Board's letter of even no. dt. 26.12.2008 may be increased by 25% with effect from 01.01.2011. The other terms and conditions for admissibility of Kilometrage Allowance/ Allowance in lieu of Kilometrage shall remain unchanged.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Md. Salim Ahmed

(Salim Md. Ahmad)
Deputy Director/E(P&A)II,
Railway Board.

No. E(P&A)II-2005/RS-34

New Delhi, dated : 28.06.2012.

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.

Salman

For Financial Commissioner/Railways.

No. E(P&A)II-2005/RS-34

New Delhi, dated : 28.06.2012.

Copy to :-

- (i) The FA & CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.
- (ii) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.

Md. Salim Ahmed

(Salim Md. Ahmad)
Deputy Director/E(P&A)II,
Railway Board.